न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक. निगरानी 535—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—01—2005 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 51/2003—04/अपील

.....

मता प्रसाद पुत्र श्री गीताराम
निवासी—ग्राम पिपरई, मौजा विजयगढ़
तहसील पोरसा, जिला—मुरैना, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— रामवती पुत्री शिवचरण
2— श्यामवती पुत्री शिवचरण
सभी निवासी— ग्राम पिपरई, मौजा विजयगढ़
तहसील पोरसा, जिला—मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/2003—04/अपील में पारित आदेश दिनांक 13—01—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम वीचोली तहसील पोरसा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 104 रकबा 0.773 है0 जिसका बन्दोबस्त में नवीन सर्वे क्र0 136 रकबा 0.66 आरे. है। आवेदक के द्वारा संहिता की धारा 169, 190 एवं 110 के अंतर्गत मृतक भूस्वामी शिवचरण के स्थान पर उक्त भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने बावत आवेदन—पत्र न्यायालय तहसीलदार पोरसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय में प्रकरण

पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 11.11.99 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया। तहसीलदार पोरसा के इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 30.10.2003 को निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के आदेश दिनांक 30.10.2003 के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त के यहाँ प्रकरण क्रमांक 51/2003–04/अपील माल में पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 13.01.2005 को अपर आयुक्त मुरैना द्वारा आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त मुरेना के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि तहसील न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 17.11.99 नियत किया गया था, किन्तु नियत दिनांक के पूर्व ही दिनांक 11.11.99 को आदेश पारित किया गया । आवेदक को बिना सूचना दिये एवं बिना सुना ही प्रकरण लिया जाकर कलेक्टर के निर्देश से प्रकरण निरस्त कर दिया । तहसील न्यायालय का यह आदेश न्याय सिद्धांत के विपरीत है । इस पर आपत्ति अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसका उल्लेख विवादित आदेश के पद क्र0 3 में उल्लेख किया गया है । किन्तु इस आपत्ति का न कोई विचार किया गया है और न ही इसका निराकरण ही किया गया है । प्रारंभिक न्यायालय में प्रकरण में विधिवत जांच ही नहीं हुई आरै न ही आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर ही मिला है । प्रारंभिक न्यायालय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । वह स्वयं बोलता हुआ आदेश नहीं है । आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने का जो कारण बताया गया है वह विधिनुसार नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाये तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु रखा जावे ।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक न तो मौरूसी

नही उपकृषक ही है । आवेदक का नाम खसरा के कालम नं0 12 में है, जबकि धारा 169, 190 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब भी खसरे में उक्त कॉलम में मौरूसी अथवा उपकृषक म0प्र0 जमीदारी समाप्ति के पश्चात् कोई इन्द्राज हो, तभी प्रकरण में उपरोक्त धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है । आवेदक मोखिक अनुबंध के आधारा पर पट्टा की बात ही है, जिसका प्रावधान इन धाराओं के अंगर्तत नहीं है । न्याय दृष्टांत राजस्व निर्णय, 1997 पृ0 146 लक्ष्मीनारायण विरूद्ध छगनलाल में राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " विचारण न्यायालय का कारण सहित आदेश, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उसके अतिरिक्त विस्तृत कारणों द्वारा को विपर्यस्तता दर्शायी नहीं गई है । द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये । " इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, मुरैना द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से मैं सहमत हूँ । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है ।

6/ उपरोक्त तथ्यों में प्रकाश डालने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2005 में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उसे यथावत रखा जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर